

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ला दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :-237/2024

1. बलजीत सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 2 जी.जी.आर. तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़। -- वादी

बनाम्

1. कलवन्त सिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी 2 जी.जी.आर. तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

2. हरप्रीत सिंह पुत्र कलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 2 जी.जी.आर. तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

3. कमलजीत कौर पत्नी कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 2 जी.जी.आर. तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. अमरजीत कौर पुत्री कलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 2 जी.जी.आर. तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़। -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 12.08.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री
करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.08.2024 को स्वाति
गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम
निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क). चक नम्बर 2 जी.जी.आर. के खाता संख्या 125/30 में कुल 2.083 हैक्टर आराजी
में से वादी बलजीत सिंह को 0.915 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 हरप्रीत सिंह को 0.
915 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3 कमलजीत कौर को 0.253 हैक्टर आराजी।

(ख). चक नम्बर 2 जी.जी.आर. के खाता संख्या 126/30 में कुल 0.22 हैक्टर में से
प्रतिवादी संख्या 1 कलवन्तसिंह के 1/2 हिस्सा की आराजी के वादी
बलजीतसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 हरजीत सिंह ब0हि0ब0।

आराजी के खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 2 जी.जी.आर.
के खाता संख्या 126/30 व चक नम्बर 2 जी.जी.आर. के खाता संख्या 125/30 में से
कलवन्त सिंह का नाम कलमजून किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अनुसार
राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारांनी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेनसहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
शर्तों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
पत्र पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
	---	योग	---